नई दिल्ली, 20 मई, 2014

सा.का.नि. 106.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उसका संबंध कलावती सरन बाल चिकित्सालय में भेषजज्ञ पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली, भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजज्ञ	07* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200—20,200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो

		(6)
		असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : I. 10 + 2 विज्ञान विषय के साथ हो; और II. फार्मेसी में दो वर्ष का डिप्लोमा : III. राज्य भेषजज्ञ परिषद् में रजिस्ट्रीकृत हो । **टिप्पण 1 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्र सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । **टिप्पण 2 :** अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसार हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए । यदि वह हिंदी का ज्ञान नहीं रखतें हैं तो उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान अवश्य अर्जित करना होगा ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

...र्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल चिकित्सालय —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, भेषजगुण विज्ञान विभाग, कलावती सरन बाल चिकित्सालय —सदस्य 3. निदेशक या उप निदेशक जो महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं में चिकित्सा शिक्षा प्रभाग का भार साधक हो —सदस्य 4. उप निदेशक, प्रशासन, कलावती सरन बाल चिकित्सालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-11018/03/2012-भर्ती नियम (एम एच-III)]

संजय पंत, अवर सचिव

New Delhi, the 20th May, 2014

G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as it relates to the post of Pharmacist in Kalawati Saran Children's Hospital, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Pharmacist (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, its classification, the pay band and grade pay or pay scale attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist	07* (2014) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade pay Rs. 2800. **Note :** On completion of two years service in the entry grade, all the incumbents shall be granted non-functional upgradation to the next higher grade.	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in case candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, in accordance with the directrions issued by the Central Government.) **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) 10 + 2 with Science subjects; (ii) Two years Diploma in Pharmacy; and (iii) Registration with State Pharmacy Council. **Note 1 :** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Cetral Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 2 :** According to Rule 10 of the Official Language Rules, 1976, framed under the Official Language Act, 1963, the candidate(s) should have the working knowledge of Hindi. If he does not have the knowledge of Hindi, he must have to acquire the same during his probation period.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade which promotion or deputation or absorption, to be made
(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital —Chairman 2. Head of Department, Pharmacology, Kalawati Saran Children's Hospital —Member 3. Director or Deputy Director Administration, in-charge of Medical Education Division in Directorate General of Health Services —Member 4. Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children's Hospital —Member	Not applicable.

[F. No. A-11018/03/2012-RR (MH III)]

SANJAY PANT, Under Secy.